1140

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 5147–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2015 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 19/अपील/2013–14.

नागेन्द्र मोहन श्रीवास्तव तनय लखनशरण श्रीवास्तव
निवासी नगरिया रीवा, हाल मुकाम मसुरी
जिला वांदा उ0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती चम्पा देवी अग्रवाल पत्नी स्व0 श्यामलाल अग्रवाल
2. लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल
3. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
4. हरीश कुमार अगवाल
5. समयराज अग्रवाल
6. संजय अगवाल सभी के पिता स्व0 श्री श्यामलाल
सभी निवासीगण मोहल्ला घोघर तह0 व जिला रीवा म0प्र0
7. शासन म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री ओ0पी0 त्रिपाठी, अभिभाषक आवेदक
श्री अवधेश शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 14–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नजूल के समक्ष प्लाट कमांक 1930/3 रकवा 426 वर्गफीट, 1931 रकवा 1674 वर्गफीट 1932/3 रकवा 120 वर्गफीट 1962/2 रकवा 124 वर्गफिट कुल रकवा 2344

वर्गफीट पर वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदक पत्र अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया। जिसपर नजूल तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 270/अ—6/09—10 में पारित आदेश दिनांक 23—9—2010 को आदेश पारित कर वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया। नजूल तहसीलदार के उक्त के विरूद्ध आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। नजूल अधिकारी ने आदेश दिनांक 15—7—2013 के द्वारा नजूल तहसीलदार के आदेश को उचित माना। नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14—9—2015 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के पिता लखनशरण द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30—5—51 को श्यामलाल के पक्ष में किस प्लाट नम्बर का व कितने रकबे का उसका रजिस्टर्ड विकय पत्र में उल्लेख नहीं है तथा विकय पत्र निष्पादन कराने के बाद कभी भी अनावेदकगण ने नजूल विभाग मे नामांतरण हेत आवेदन नहीं दिया। अनावेदकगण द्वारा सम्पूर्ण विवादित नजूल प्लाटों का अपने नाम वारिसाना नामांतरण हेतु नजूल तहसीलदार के यहा अवदेन पत्र दिया जिसमें आवेदक को बिना पक्षकार बनाये एकपक्षीय रूप से दिनांक 23—9—10 को आदेश पारित करा लिया। यह भी तर्क दिया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह लेख किया है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के प्रकरण कमांक 96ए/67 आदेश व डिकी दिनांक 11—1—72 को पारित की गई जिसमें आवेदक के पक्ष में निर्णय पारित किया तथा नजूल तहसीलदार के यहां वारिसाना नामान्तरण के आधार पर विवादित नजूल प्लाटों को बिना पक्षकार बनाये गलत तरीके से वारिसाना नामान्तरण की पुष्टि की गई है वह विधि एवं न्यायिक प्रकिया के प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी आधार लिया कि 40 वर्षों के बाद यह वारिसाना नामांतरण कराने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन दिया जहां आवेदक को बिना पक्षकार बनाये उसके

हक व हित को बिना ध्यान दिये प्रश्नाधीन प्लाटों का नामांतरण करने में त्रुटि की है। नजूल तहसीलदार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया व्यवहार न्यायालय के निर्णय डिग्री का निष्पादन मात्र टी0पी0 एक्ट के तहत 12 साल ही रखी गई है उसके वाद यदि उक्त निर्णय डिकी के अनुसार नामांतरण या अन्य विधिक कानूनी कार्यवाही की जाती तो वह विधि के सम्यक उपबन्धों के प्रतिकूल होने के कारण काबिल निरस्ती योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि स्व0 श्यामलाल अग्रवाल ने प्रश्नाधीन प्लाट कय किया था उस समय नजूल की स्थापना नहीं हुई थी और सभी भूमियां राजस्व में समाहित थी। यदि केता श्यामलाल द्वारा अपने नाम नामांतरण नहीं कराया गया हो तो संहिता की धारा 109, 110 के तहत उसके वारिसानों को नामांतरण कराने की अधिकारित है। यह भी तर्क किया कि रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्लाट कया किय था जो किसी भी न्यायायल से निरस्त नहीं हुआ है। रजिस्ट्री दिनांक से ही उसी दिन से केता तथा उसके बाद उसके वारिसानों का हक उस सम्पत्ति में है तथा वे उसका वारिसाना नामान्तरण कराने के अधिकारी है। तर्क में यह भी कहा कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्त हुई। चूंकि मूल विकय पत्र दीवानी न्यायालय के मूल प्रकरण में संलग्न थी और आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील वर्ष 1980 में माननीय उच्च न्यायालय में खारिज होने के बाद अनावेदकगण के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया और वर्ष 1981 में उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि प्रकरणों की पैरवी पिता ही करते थे इसलिए जानकारी होने पर नामांतरण की कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नामांतरण को उचित माना है और समवर्ती निष्कर्ष दिये हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पिता लखनशरण ने दिनांक

30–3–1951 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा अनावेदकगण के पिता श्यामा अग्रवाल को मकान का विकया किया किन्तु विकय पत्र में प्लाट नं0 अंकित नहीं है। लखनशरण श्रीवास्तव द्वारा मकान अन्य लोगों को किराये पर दे दिया तब अनावेदकगणे के पिता द्वारा व्यवहार न्यायालय में कब्जा वापसी का दावा लगया जिसमें व्यवाहर न्यायालय ने दिनांक 11–1–1972 अनावेदकगण के पिता का दावा स्वीकार किया और डिकी पारित की। व्यवहार न्यायालय की उक्त डिकी को अपील जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के आदेश से स्थिर रखते हुये आवेदक के पिता द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी हैं और रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नजूल तहसीलदार ने अनावेदकगण के पक्ष में वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया है, जो विधि एवं नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अनावेदकगण अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने येाग्य है कि प्रश्नधीन सम्पत्ति रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया था जो किसी भी न्यायायल से निरस्त नहीं हुआ है और रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र के पश्चात केता तथा उसके बाद उसके वारिसानों का हक उस सम्पत्ति में होता है और वे नामान्तरण कराने के अधिकारी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 14–9–15 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर